

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :-ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.00762/2024/363 दिनांक : 16-05-24

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि. 30.10.2017 एवं 9.12.2017 एवं एफ.15(88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.22 एवं 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 06.10.2023 में उपलब्ध प्रावधानानुसार के अनुसार निम्नलिखित कार्मिकों को राज्य सेवा में 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार एम.ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवावधि	एमएसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1.	सुरज्ञान कंवर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय केकडी।	13.08.1996	27 वर्ष	13.08.2023	एल-11
2.	श्री पवन सोनी, वरिष्ठ सहायक	अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) टोंक।	29.12.2005	18 वर्ष	29.12.2023	एल-10

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण एमएसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.00762/2024/363 दिनांक : 16-05-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
- अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) अजमेर।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय केकडी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7056612

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :15-05-2024 05:15:16